<u>नीति निर्माण अथवा उसके क्रियान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श अथवा उनके द्वारा अभ्यावेदन की व्यवस्था का ब्यौरा</u>

औद्योगिक नीति संवर्धन एवं विभाग (आईपीपी) अपने आबंटित कार्य के क्षेत्रों से संबंधित नीतियों के निर्माण में निम्नलिखित मंचों में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के विभिन्न पणधारियों के साथ बातचीत करता है:

(i) विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति, जो मंत्रालय के अनुदान की वार्षिक मांगों और विधान हेतु इसके प्रस्तावों पर विचार करती है तथा जिसमें संसद सदस्य शामिल होते हैं तथा जिसमें जब भी यह आवश्यक समझे जनता से सदस्य भी आमंत्रित किए जाते हैं, विभाग की विशेष नीतियों और/अथवा कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा और सिफारिश करती है।

(ii) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग अपनी नीतियों के क्रियान्वयन और संवर्धन के लिए जनता, व्यापार संघों जैसे फिक्की, एसोचैम और सीआईआई इत्यादि से तथा संसद में सार्वजनिक चर्चा करता है और सलाह करता है।

(iii) औद्योगिक नीति के उदारीकरण से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग देश के विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना में केवल मूलभूत सेवाएं ही प्रदान करता है। यह संबधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे सड़क, जलापूर्ति, विद्युत इत्यादि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के माध्यम से अपने-अपने संबंधित राज्यों में उद्योग की स्थापना हेतु उद्योगों को आकर्षित करें।